<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072025-265115 CG-DL-E-30072025-265115

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3443]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2025/श्रावण 8, 1947

No. 3443]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2025/SHRAVANA 8, 1947

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2025

चिकित्सा वस्त्र(गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2025

का.आ. 3526(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पिठत धारा 16 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,केन्द्रीय सरकार कीभारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि, जनहित में चिकित्सा वस्त्र(गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 को पुन: संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाना आवश्यक या समीचीन है, अर्थातु:-

- 1. (1) इस आदेश का नामचिकित्सा वस्त्र(गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2025 होगा।
 - (2) यह आदेश, राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।
- 2. चिकित्सा वस्त्र (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 (जिसे इसके बाद मूल आदेश कहा जाएगा) में, पैराग्राफ 2 में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातु: -

5112 GI/2025 (1)

"पंरतु यह कि जहां ब्यूरो द्वारा प्रमाणित कोई विनिर्माता, या कोई विनिर्माता जिसने मूल आदेश की अनुसूची 'क' के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं के संबंध में प्रमाणन के लिए ब्यूरो में आवेदन किया है, उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट तारीख से पहले घोषित करता है कि उस तारीख से पहले निर्मित या आयातित उनके पुराने स्टॉक पर मानक चिह्न नहीं है, ऐसे निर्माता या आयातक को 31 दिसंबर, 2025 तक घोषित स्टॉक को बेचने, प्रदर्शित करने या बेचने की पेशकश करने की अनुमित होगी।"

[फा. सं. 6/1/2021-आरएंडडी(भाग 2)]

शुभ्रा, व्यापार सलाहकार

नोट: मुख्य आदेशभारत के राजपत्र,असाधारण, भागII, धारा 3/उप-धारा (ii), संख्या एसओ 4634 (ई), दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 में प्रकाशित किया गया थाऔर तत्पश्चात् संख्या एसओ 04 (ई), दिनांक 1 जनवरी, 2025 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF TEXTILES NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2025

MEDICAL TEXTILES (QUALITY CONTROL) SECOND AMENDMENT ORDER, 2025

- **S.O.** 3526(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section16read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016(11of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, further to amend the Medical Textiles (Quality Control) Order, 2024, namely: -
- 1. (1) This Order may be called the Medical Textiles (Quality Control) Second Amendment Order, 2025.
 - (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- **2.** In the Medical Textiles (Quality Control) Order, 2024 (hereinafter referred to as principal Order), in paragraph 2, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: –

"Provided that where any manufacturer certified by the Bureau, or any manufacturer who has applied to the Bureau for certification in respect of the goods or articles specified in column (2) of Schedule A to the principal Order, declaresprior to the date specified in column (5) of the said Schedulethat their old stock, manufactured or imported prior to such date, does not bear the Standards Mark, such manufacturer or importer shall be permitted to sell, display, or offer to sell the declared stock up to 31st December, 2025."

[F. No. 6/1/2021-R&D(Pt.2)]

SHUBHRA, Trade Advisor

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4634(E), dated the 23rd October, 2024 and subsequently amended vide number S.O. 04 (E), dated the 1st January, 2025.